R.No. 45855/78

उच्च न्यायालयों के महत्त्वपूर्ण निर्णय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने दिया हिंदी में आदेश, नागरी-हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का महत्त्वपूर्ण निर्देश

18 अप्रैल, 2020

यदि नाम देवनागरी में लिखे तो पढ़ने में कोई भूल नहीं होती, परन्तु रोमन में लिखा हो तो पता नहीं चलता कि उच्चारण क्या करना है। इसी बात पर यह उच्च न्यायालय का फैसला–इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदी में आदेश देकर हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का महत्त्वपूर्ण निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् यानी यूपी बोर्ड 2020 व भविष्य की परीक्षाओं के अंकपत्र में अंग्रेजी के साथ **हिंदी-देवनागरी** भाषा में नाम लिखे। यह भी कहा है कि इसके लिए जरूरी होने पर नियमों में संशोधन किया जाए।

यह आदेश न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय परिक्षेत्र के मनीष द्विवेदी की याचिका पर दिया है। हिंदी भाषा में सुनाए गए फैसले में कहा कि भारतीय संविधान में राजभाषा देवनागरी-हिंदी में सरकारी कामकाज करने की व्यवस्था दी गई है। हिंदी को पूर्ण रूप से स्थापित होने तक 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा में कामकाज की छूट दी गई थी, जिसे आज तक जारी रखा गया है। कोर्ट ने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए **राजभाषा नीति के तहत हिंदी में सरकारी काम करने पर भी बल दिया है।** याची के नाम की स्पेलिंग में अंतर होने पर सुधार की माँग की गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

❖❖❖

28 अप्रैल, 2020

आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश **श्री जे.के. माहेश्वरी** और न्यायमूर्ति **श्री निवाला जयसूर्या** की खंड पीठ ने सभी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अनिवार्य किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा, "भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों में मातृभाषा में या संविधान की अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी भाषा में (अनुच्छेद-19 के खंड(2) में उल्लिखित प्रतिबंधों के अधीन) शिक्षा का माध्यम चुनने का अधिकार भी शामिल है।" आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 29 निर्धारित करती है कि शिक्षा का माध्यम बच्चे की **मातृभाषा** में होना व्यावहारिक होता है, यह बच्चे को भय, आघात और चिंता से मुक्त करता है और बच्चे को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से और संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप व्यक्त करने में मदद करता है।

नागरी लिपि परिषद् के लिए डॉ. हरिसिंह पाल महामंत्री द्वारा संपादित और प्रकाशित तथा मुद्रक [illegible] 2023, [illegible], नई दिल्ली-2 द्वारा मुद्रित

ISSN 2581-8589

नागरी संगम

(आचार्य विनोबा भावे की सत्प्रेरणा से स्थापित नागरी लिपि परिषद् की मुख-पत्रिका)

वर्ष 43 | अंक 167 | अप्रैल-जून, 2020 | मूल्य : 20 रु

नागरी लिपि परिषद्
19, गांधी स्मारक निधि, नई दिल्ली-110002

विश्व पुस्तक मेला में नागरी संगम का लोकार्पण करते हुए संपादक डॉ. पाल, श्याम सुंदर कथूरिया, डॉ. योगेन्द्र नाथ शर्मा अरुण (रुड़की), पद्मश्री डॉ. श्याम सिंह शशि, डॉ. पांचाल, नारायण कुमार (निदेशक, अंतरराष्ट्रीय सहयोग परिषद्), डॉ. अवनीश कुमार (निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय) और वीरेंद्र कुमार यादव (पटना)

वाराणसी में नागरी संगम के "मणिपुर सम्मेलन विशेषांक" का लोकार्पण करते हुए अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलपति डॉ. गिरीश्वर मिश्र, वर्तमान कुलपति डॉ. रजनीश शुक्ल, उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री नीलकंठ तिवारी, हिंदुस्तानी अकादमी, प्रयाग के अध्यक्ष श्री उदयप्रताप सिंह, गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व भौतिकी विभागाध्यक्ष डॉ. महेश्वर मिश्र, उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व उपमहानिरीक्षक डॉ. दयानिधि मिश्र और नागरी संगम के प्रधान संपादक डॉ. पाल।

विज्ञान भवन में हंसराज कॉलेज द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में 'नागरी लिपि : वैश्विक लिपि की ओर' विषय पर बोलते हुए परिषद के महामंत्री डॉ. पाल

दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में परिषद् द्वारा आयोजित नागरी लिपि प्रशिक्षण कार्यशाला में बोलते हुए विशेषज्ञ श्री श्याम सुंदर कथूरिया, संयुक्त निदेशक (राजभाषा)–कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नागरी लिपि परिषद् की कार्यसमिति की बैठक में उपस्थित (कुर्सियों पर) नवनिर्वाचित अध्यक्ष पूर्व कुलपति डॉ. प्रेमचंद पतंजलि, निवर्तमान अध्यक्ष डॉ. पांचाल, उपाध्यक्ष डॉ. एच. बाल सुब्रह्मण्यम, महामंत्री डॉ. पाल (पीछे खड़े हुए), अरुण कुमार पासवान, संजय गिरि, जानकीवल्लभ, डॉ. ए. कीर्ति वर्धन बाबा कानपुरी, विनोद बब्बर, उमाकांत खुबालकर, विनोद गौड़, आचार्य ओमप्रकाश, डॉ. चेतन बाहेतिया और ब्रह्मचारी राजेश कुमार जैन।

परिषद् के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. शहाबुद्दीन शेख़ के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर केंद्रित गौरव ग्रंथ 'हिंदी और देवनागरी लिपि' का लोकार्पण करते हुए पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी श्रीमती लीना मेहंदले, हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. हनुमंत जगताप, प्राचार्य डॉ. झावेर और शेख़ दंपत्ति

परिषद् द्वारा मिजोरम में विश्वव्यापक हिंदी संचार केंद्र, आइज़ोल के सहयोग से आयोजित 'नागरी कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यशाला' में संयोजक डॉ. वी. आर. राल्ते और प्रतिभागी

पुणे कॉलेज (महाराष्ट्र) में आयोजित राष्ट्रीय नागरी लिपि संगोष्ठी में नागरी संगम का लोकार्पण करते हुए–संयोजक डॉ. बाबा शेख़, उपप्राचार्य प्रो. मोईनुद्दीन खान, प्राचार्य डॉ. आफताब अन्वर, पूर्व कुलपति श्रीमती लीना मेहंदले, महामंत्री डॉ. पाल, पुणे विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. सदानंद भोसले, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. शेख़, वक्ता मीनाक्षी भालेराव और हिंदी विभागाध्यक्ष एवं संगोष्ठी संचालक डॉ. मौ. शाकिर शेख़

आई.एस.एस.एन. 2581-8589

केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से प्रकाशित

नागरी-संगम

(वर्ष 43, अंक 167, अप्रैल-जून, 2020)
www.nagarilipi.com

संरक्षक मण्डल

डॉ. परमानंद पांचाल • पद्मश्री डॉ. श्यामसिंह शशि • श्रीमती लीना मेहंदले

अध्यक्ष, संपादक मण्डल

डॉ. प्रेमचंद पतंजलि (पूर्व कुलपति) • डॉ. शहाबुद्दीन नियाज मोहम्मद शेख (पूर्व प्राचार्य)

सह-संपादक

आचार्य ओमप्रकाश • विनोद बब्बर • अरुण कुमार पासवान

परामर्श-संपादक-मण्डल

डॉ. एच. बाल सुब्रह्मण्यम (दिल्ली) • डॉ. अतुल देबबर्मा (त्रिपुरा) • डॉ. पी.टी. जमीर (नागालैंड)
डॉ. किरन हजारिका (असम) • डॉ. सी.ई. जीनी (मिजोरम) • डॉ. जोरम आनिया ताना (अरुणाचल प्रदेश)
डॉ. आर. सुरेन्द्रन 'आरसू' (केरल) • डॉ. रामनिवास मानव (हरियाणा) • डॉ. राजलक्ष्मी कृष्णन (तमिलनाडु)
के.एच. सदाशिव सिंह (मणिपुर) • डॉ. एन. जगन्नाथम (आन्ध्र-तेलंगाना) • डॉ. इसपाक अली (कर्नाटक)
उर्मिल मेहता (जम्मू-कश्मीर) • डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा (मध्य प्रदेश) • प्रो. दिनेश चमोला 'शैलेश' (उत्तराखंड)

प्रधान संपादक

डॉ. हरिसिंह पाल

मो. : 9810981398, मेल : drharisinghpal7@gmail.com

कार्यालय

नागरी लिपि परिषद्

19, गांधी स्मारक निधि, नई दिल्ली-110002
फोन / फैक्स : 011-23329841
email: nagarilipiparishad1975@gmail.com

आजीवन सदस्यता शुल्क : रु. 1000/- मात्र (विदेश के लिए 25 डॉलर)

विषयानुक्रमणिका

1.	संपादकीय	–डॉ. हरिसिंह पाल	03
2.	देवनागरी ही अपनाएँ	-प्रोफेसर (डॉ.) दिनेश चमोला 'शैलेश'	04
3.	राष्ट्रीय एकता में नागरी लिपि की भूमिका	–डॉ. सोनम वाङ्मृ	05
4.	देवनागरी लिपि और राष्ट्रीय एकता	–डॉ. विनोद कुमार 'वेदार्य'	08
5.	जोड़ लिपि के रूप में नागरी की भूमिका	–उमाकांत खुबालकर	11
6.	विश्व पटल पर देवनागरी	-डॉ. रामनिवास साहू	13
7.	नेपालका भाषाहरू र तिनमा देवनागरी लिपिको प्रयोग	–सुदर्शन ढुंगाना	17
8.	राष्ट्रलिपि के रूप में देवनागरी लिपि	–डॉ. एस.जे. दिवाकर	20
9.	नागरी लिपि : उच्चारण कला	–नवनीत मिश्र	23
10.	विराम चिह्नों का उपयोग	–धीरेन्द्र राम	28
11.	पूर्वोत्तर भारत में देवनागरी लिपि	–शैलेश यादव	31
12.	सूचना प्रौद्योगिकी में उपलब्ध नागरी-हिंदी	–प्रस्तुति : श्यामसुंदर कथूरिया	33
13.	आंतर भारती (डोगरी)	–उषा किरण 'किरण'	35
14.	परिषद् की गतिविधियाँ		36
15.	संस्था समाचार		42
16.	नागरी संगम के नए साथी		45
17.	समाचार-पत्रों से		46
18.	अ.भा. नागरी लिपि निबंध प्रतियोगिता 2019-20 परिणाम		47

राष्ट्रीय नागरी लिपि संगोष्ठी, पुणे में प्रस्तुत शोध-पत्र

राष्ट्रीय एकता और देवनागरी लिपि और राष्ट्रीय एकता

–प्रो. डॉ. विनोद कुमार विलासराव वायचळ 'वेदार्य'

श्रीमद्‌भारतवर्षभूतिभरितैर्नानाविधे भीषणे।
पूर्णभारतभव्य मानव मनोबन्धय सूत्रं दृढम्।
श्रीदेवाक्षरदक्षमेकालिपि विस्तरैकबीरं नवम्।
पत्रं रजति 'देवनागरं' अहो। गृण्हन्तु तत्कोविदा:।।

भारतीय ऋषियों, मुनियों और मनीषियों ने जो महत्वपूर्ण आविष्कार किए हैं उनमें आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, अष्टांग योग, संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि है। पहले भाषा है और बाद में लिपि। लिपि का आविष्कार ही उच्चरित भाषा के पाठ को अधिक काल तक सुरक्षित रखना था। मानव ने आज तक जितना भी ज्ञान और अनुभव अर्जित किया है, उसे अगली पीढ़ी तक पहुँचाने का सबसे आसान माध्यम 'लिपि' ही है। सम्पूर्ण विश्व भर में अनेक प्रकार की लिपियों का प्रयोग हजारों वर्षों होता रहा है। जैसे चित्रिलिपि, फोनेशियन लिपि, लैटिन या रोमन लिपि, यूनानी लिपि, फारसी लिपि, इब्रानी लिपि, सीरिलिक लिपि, मिस्री लिपि, चीनी लिपि, कांजी लिपि, कानी लिपि आदि।

भारतवर्ष में हजारों वर्षो से अनेक लिपियाँ प्रचलित रहीं। संस्कृत भाषा में रचित प्रसिद्ध बौद्ध धर्मग्रन्थ 'ललितविस्तर' में 64 लिपियों का वर्णन है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाये तो गुप्त लिपि, शारदा लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि, नन्दीनागरी लिपि, कलिंग लिपि, कुटिल लिपि, यन्य लिपि, बट्टेलुतु लिपि, शंख लिपि, कदम्ब लिपि, तमिल लिपि आदि का प्रचलन रहा है। याद में गुरुमुखी लिपि, तेलुगु लिपि, कन्नड लिपि, मलयालम लिपि, शाहमुखी लिपि, बाळबोध लिपि, मोडी (मुडिया) लिपि, कैथी लिपि, गुजराती लिपि, सिंहल लिपि, तिब्बती लिपि, रंजना लिपि, नेपाली लिपि, असमिया लिपि बंगाली लिपि, उड़िया लिपि, उर्दू लिपि, सिंधी लिपि आदि का प्रयोग हो रहा है।

भारतवर्ष की प्रचलित सारी लिपियां ब्राह्मी से ही निकली है तथा अन्य विदेशी लिपियाँ खरोष्ठी से निकली है। भारतवर्ष की प्रचलित लिपियों में से एक मूलत देवनागरी लिपि ही रही है। सारनाथ स्थित अशोक स्तम्भ के धर्मचक्र के निम्न भाग में देवनागरी लिपि में 'सत्यमेव जयते' अभिलेख अत्यन्त महत्यपूर्ण उदाहरण है। ईसा के भी तेईस वर्ष पूर्व के भूमि अभिलेख के राजकीय दान के ताम्रपत्र में देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत अभिलेख बिहार के मुंगेर में मिला था। जिसका अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने सन् 1781 में किया था। तब से लेकर अब तक देवनागरी लिपि की महत्ता का गुणगान सम्पूर्ण विश्व कर रहा है। भाषा के रूप में संस्कृत, पालि, अर्द्धमागधी, अन्य प्राकृत भाषाएँ सदियों तक राज करती रही। ग्यारहवीं सदी के पूर्वार्द्ध के नानाविध शिलालेखों, मूर्ति-अभिलेखों, तायपत्रों आदि में देवनागरी लिपि में हजारों अभिलेख मिलते हैं। चाहे उनकी भाषा वैदिक संस्कृत हो, लौकिक संस्कृत हो, पालि हो, अर्द्धमागधी या कोई अन्य प्राकृत भाषा हो। सभी की लिपि देवनागरी ही है।

हमारे भारतवर्ष में दसवीं-ग्यारहवीं सदी से ही तुर्क, पठान, अफगान, मुगल आदि मुस्लिम धर्मीय जातियाँ प्रवेश कर चुकी थीं। इस्लाम के साथ-साथ इन सभी जातियों का एक सामान्य बिन्दु था – दरबारी भाषा 'फारसी'। इसीलिए इन जातियों ने राजधर्म के रूप में

इस्लाम और राजभाषा के रूप में फारसी का प्रचलन करवाया। लगभग छह सदियों तक इन लोगों ने भारतवर्ष पर पूर्णतः या अंशतः राज किया। मध्यकाल के आरम्भ अर्थात 12वीं सदी के शहाबुद्दीन गोरी से लेकर मुगल बादशाह अकबर के काल तक हिन्दी भाषा ही इस देश की विभिन्न रियासतों की राजभाषा एवं देवनागरी लिपि ही राजलिपि रही है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, शेरशाह सूरी जैसे सारे सुलतान और मुगल वंश के सारे बादशाह यहाँ तक कि औरंगजेब जैसे घोर हिन्दू विरोधी ने भी अपने सिक्के देवनागरी लिपि में ढाले थे। यह तो मानना ही पड़ेगा कि मुस्लिम सुलतानों और बादशाहों का हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि के प्रति कोई नकारात्मक या दुर्भावपूर्ण रवैया नहीं था। यद्यपि इनके काल में अदालत की भाषा और लिपि फारसी ही रही तथापि राजस्व विभाग की भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी ही रही। अतः हम हिंदी को हमारी शाश्वत राष्ट्रभाषा और देवनागरी को हमारी शाश्वत राष्ट्रलिपि कह सकते हैं।

वैसे तो संस्कृत, हिंदी, मराठी, पालि, अर्द्धमागधी, प्राकृत आदि भाषाओं के लिए देवनागरी का प्रयोग तो होता ही था। दक्षिण की भाषाओं की पुस्तकों में भी संस्कृत के उद्धरण देने के लिए भी देवनागरी का प्रयोग होता था। बंगाली में संस्कृत के उद्धरण भी बंगलिपि में ही दिये जाते थे। सन् 1864 में डॉ. राजेन्द्रलाल मित्र ने पहली बार यह माँग की कि हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि का ही प्रयोग किया जाय। उन्होंने फारसी लिपि की त्रुटियों को भी उजागर किया। इस माँग का समर्थन जॉन बीम्स और एफ.एस. ग्राउस जैसे अंग्रेज अधिकारियों ने किया। इन्होंने उर्दू को हिन्दी भाषा की ही एक बोली (शैली) सिद्ध करते हुए उसके लिए भी देवनागरी लिपि की अनुशंसा की। पर इससे साम्राज्यवादी अंग्रेजों की मंशा धरी-की-धरी रह जाती। इसलिए इस अनुशंसा को स्वीकार किया गया।

देवनागरी लिपि को उर्दू भाषा की भी लिपि बनाने के आन्दोलन में राज शिवप्रसाद सिंह 'सितारे हिन्द' ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने देवनागरी लिपि की महत्ता को स्वीकार कर, उर्दू के लिए भी इसी को योग्य माना, पर उन्होंने यथासम्भव संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों को टालने पर अधिक जोर दिया। उनके विरोधी राजा लक्ष्मणसिंह ने संस्कृत का पक्ष लिया। इन दोनों का सुवर्णमध्य आधुनिक हिन्दी साहित्य के पुरोधा भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के निकाला। तो भारतेन्दु सहयोगी महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने संस्कृत प्रचुर हिंदी को बढ़ावा दिया। इस बीच कचहरी की लिपि देवनागरी हो, इस वैचारिक आन्दोलन को 1881 में मध्य प्रदेश में सफलता मिल गई। इस आन्दोलन का सफल नेतृत्व खड़ीवाली के पक्षधर श्री काशीनाथ खत्री और 'शब्दकोशकार' श्री राधालाल माथुर ने किया था।

अब देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि बनाने के लिए उपयुक्त आन्दोलन को अधिक तीव्र किया गया। यह भी स्पष्ट है कि भारतीय स्वाधीनता का आन्दोलन और देवनागरी लिपि का आन्दोलन समान्तर रूप से चल रहा था। स्वामी श्रद्धानन्द, लाला हंसराज, पं. बालकृष्ण भट्ट, शारदाचरण मित्र, वी. कृष्णस्वामी अय्यर, पं. माधव राम, पं.पद्मसिंह शर्मा, राधाचरण गोस्वामी, प्रतापनारायण मिश्र, बलभद्र मिश्र, छत्रधारी सिंह, रामगति न्यायरत्न, पं. रविदत्त शुक्ल, सोहन प्रसाद मुदर्रिस, रामगरीब चतुर्वेदी, पं. केशव वामन पेठे, राधाकृष्ण दास, डॉ. श्यामसुन्दर दास, मिश्रीलाल, बालमुकुन्द गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शिवनन्दन सहाय, रामवचन द्विवेदी, बद्रीनाथ वर्मा, सैयद अमीर अली 'मीर', पं. गौरीदत्त, रतनचन्द वकील, रामकृष्ण वर्मा, पं. देवकीनन्दन त्रिपाठी, लोकमान्य तिलक, स्वातन्त्र्यवीर सावरकर,

आई.एस.एस.एन.–25818529

भगतसिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, महात्मा गांधी, प्रेमचन्द, भदन्त आनन्द कौसल्यायन, माखनलाल चतुर्वेदी, भीमसेन विद्यालंकार, राहुल सांकृत्यायन, सेठ गोविन्ददास, रामचन्द्र शुक्ल, चन्द्रबली पांडेय, काका कालेलकर, विनोबा भावे, पं. जवाहरलाल नेहरू, डा. राजेन्द्र प्रसाद, डॉ. अमरनाथ झा, सुधाकर पांडेय, राम मनोहर लोहिया, नन्दकुमार अवस्थी, गोपाळराव एकबोटे, किशोरलाल घनश्याम मशरूवाला, पुरुषोत्तमदास टंडन, ज्ञानी जैल सिंह, आर. व्यंकट रमण, डॉ. मलिक मोहम्मद आदि महानुभावों ने अपना सम्पूर्ण जीवन ही देवनागरी लिपि के प्रचार-प्रसार में लगा दिया।

हमें इस बात का विश्वास है कि यदि भारत में रची गयी फारसी लिपि में आबद्ध रचनाओं का देवनागरी लिप्यन्तरण हो जाता है तो बहुत सी रचनाएँ हिंदी की किसी बोली की रचनाएँ साबित हो सकती हैं, ठीक मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत की तरह। अतः फारसी लिपि में आबद्ध सभी रचनाओं का देवनागरी लिप्यन्तरण होना अत्यंत आवश्यक है।

इससे यह बात स्पष्ट है कि केवल शब्दों के स्रोत के अलावा इन दोनों भाषाओं में कोई भी अन्तर नहीं है। भारतेन्दु के समकालीन लेखक बालमुकुन्द गुप्त हिंदी उर्दू के एक अन्य अन्तर अर्थात् लिपि के अन्तर को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं-"इस समय हिंदी के दो रूप हैं-एक हिंदी और दूसरा उर्दू। दोनों में केवल शब्दों का ही नहीं, लिपि भेद बड़ा भारी पड़ा हुआ है। यदि यह भेद न होता तो दोनों रूप मिलकर एक हो जाते। यदि आदि से फारसी लिपि के स्थान में देवनागरी लिपि रहती तो यह भेद ही न होता।"

उर्दू के प्रसिद्ध शायर और हिंदी के सुविख्यात कथाकार डॉ. राही मासूम राजा ने इसी त्रासदी को स्वानुभव से अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा है कि "मैं शायद उर्दू का अकेला शायर हूँ, जिसने यह कहने की हिम्मत की है कि उर्दू और हिंदी दो अलग-अलग भाषाएँ नहीं हैं। मैंने यह चेतना बहुत महँगे दामों में खरीदी है और लोग कहते हैं कि मैं बिक गया हूँ।"

यदि हम हमारे भारत की सचमुच राष्ट्रीय एकता चाहते हैं तो राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी की लगभग सौ वर्ष पहले लिखी गई कविता की निम्न पंक्तियों को ध्यानपूर्वक आत्मसात करना ही होगा।

"है एक-लिपि-विस्तार होना, योग्य हिन्दुस्तान में,
अब आ गई है यह बात, सब विद्वज्जनों के ध्यान में।
है किन्तु इसके योग्य उत्तम कौन, लिपि गुण आगरी?
इस प्रश्न का उत्तर यथोचित है उजागर 'नागरी'।।
अब एक-लिपि से भी अधिकतर एक-भाषा इष्ट है,
जिसके बिना होता हमारा सब प्रकार अनिष्ट है।
अतएव है ज्यों एक-लिपि के योग्य केवल 'नागरी',
त्यों एक-भाषा योग्य है 'हिंदी' मनोज उजागरी।।"

।। जय हिंदी, जय नागरी ।।

संदर्भ–

• मासिक 'देवनागर' प्रथमांक (एक लिपि विस्तार परिषद्, 1907) – सं. यशोदानन्दन अखौरी
• देवनागरी लिपि आन्दोलन का इतिहास (उपसंहार)– रामनिरंजन परीमलेन्दु (साहित्य अकादेमी), 2018)
• बालमुकुन्द निबन्धावली, पृ. 110
• लगता है बेकार गये हम–डॉ. राही मासूम रजा, पृ. 72।
• 'नागरी लिपि और हिंदी भाषा' (सरस्वती-भाग 10, संख्या 12, दि. 1 दिसंबर, 1909) –मैथिलीशरण गुप्त।

–हिंदी विभागाध्यक्ष,
व्यंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय, उस्मानाबाद
मो. नं. : 9270000721
ई-मेल : vvvnivay3@gmail.com